न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, लखीमपुर खीरी।

प्रकीर्ण फौजदारी सं0–47 / 2026
रजि0 सं0 166 / 2026
CNR No. UPLP01-001969-2026

हरविन्दर सिंह

बनाम

सुखपाल सिंह आदि।

दिनांक 03.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी तथा विपक्षी सं0 2 उपस्थित। विपक्षी सं0–1 अनुपस्थित। प्रार्थी तथा विपक्षी सं0 2 को प्रा0पत्र 4ख पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रा0पत्र 4ख अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम

प्रा0पत्र 4ख प्रार्थी की ओर से मय शपथपत्र दिया गया है, जिसमें प्रार्थी का यह कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा फौजदारी सं0 185 / 2024 सुखपाल सिंह बनाम हरविन्दर सिंह अं0धारा 406,420 भा0दं0सं0 थाना मोहम्मदी, जिला खीरी में प्रार्थी को आहूत करने का निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.04.2025 को पारित किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 03.04.2025 के क्रम में प्रेषित सम्मन प्रार्थी को प्राप्त हुआ तब प्रार्थी को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.04.2025 की जानकारी हुई। प्रार्थी ने दिनांक 09.02.2026 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निगरानी प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक नकलें प्राप्त की तथा अपने अधिवक्ता से परामर्श लेकर प्रस्तुत निगरानी संस्थित कर रहा है। प्रार्थी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.04.2025 की जानकारी सूचना के अभाव में नहीं हो सकी, इसलिए प्रार्थी निगरानी समयावधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी ने समयावधि के अन्दर निगरानी प्रस्तुत न करने की त्रुटि जानबूझकर नहीं की है बल्कि सूचना के अभाव में हुई है जो क्षमा योग्य है। अतः प्रार्थी को धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुए निगरानी को समयावधि के अन्तर्गत माने जाने की कृपा की जाये।

विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रा0पत्र पर कोई लिखित आपत्ति नहीं दी गयी है, मौखिक आपत्ति में विपक्षी सं0 2 की ओर से यह कथन किया गया कि प्रा0पत्र गलत तथ्यों के आधार पर दिया गया है। विलम्ब का उचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। अतः प्रा0पत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं0–2 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रा0पत्र 4ख प्रार्थी की ओर से फौजदारी निगरानी 3क को देने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु दिया गया है। प्रा0पत्र में विलम्ब का जो कारण दिया गया है कि पारित आदेश की जानकारी सूचना के अभाव में होना बताया है। प्रा0पत्र के विरूद्ध कोई लिखित आपत्ति नहीं दी गयी है। आदेश दिनांक 03.04.2025 के विरूद्ध पुनरीक्षण दिनांक 17/18.03.2026 को योजित कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षण योजित करने में अधिक विलम्ब नहीं किया गया है। प्रा0पत्र स्वीकार न होने से प्रार्थी का हित प्रभावित होगा और वह न्याय पाने से वंचित रह जायेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **एन0 बालाकृष्णन बनाम एम0 कृष्ण मूर्ति ए0आई0आर0 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज–3222** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम का निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय दिलाया जा सकें। निर्णयज विधि **रामगौड़ा मेजर बनाम स्पेशल लैण्ड एक्यूजीशन आफीसर 1988(2) एस0 सी0सी0 पेज–142** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा करने के लिए ''पर्याप्त कारण'' का निर्वचन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक न्याय दिलाया जा सके और साधारणतया अपील प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा कर देना चाहिए जब तक कि गंभीर लापरवाही और जानबूझकर कार्यवाही न करने की दुर्भावना प्रतीत न हो।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 4ख निम्नलिखित आदेशानुसार स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण फौजदारी वाद सं0–47/2026 में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0–4ख अन्तर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मु0 300/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थी द्वारा आपराधिक निगरानी 3क को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष दिनांक 03.07.2026 को पेश हो। पक्षकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित हो।

दिनांक 03.06.2026

(मनोज कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0–2, लखीमपुर खीरी।
J.O. Code- U.P.6367